न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—मुनिदेव यादव आर.ए.एस.
प्रकरण सं0:—55/19
निरंजन पुत्र यादराम जाति जाट निवासी ग्राम अजरौंदा तहसील वैर जिला भरतपुर(राज0)

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तामील तहसीलदार वैर

—असल प्रतिवादी

2. हरीसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम अजरौंदा तह0 वैर जिला भरतपुर(राज0)

—तरतीवी प्रतिवादी

दावा डिक्लरेशन अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितः—
1. चंदनसिंह डागुर एडवोकेट—वादी की ओर से
2. पैरोकार राज0 सरकार—नायब तह0 वैर
3. तरतीवी प्रतिवादी स्वंय उपस्थित

दिनांकः—10.03.2022

निर्णय

यह कि वाद पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम अजरौंदा तह0 वैर में स्थित आराजी ख0न0 77/0.93, 78/0.09 किता 2 रकबा 1.02 है0 में वादी 1/2 भाग का एवं तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 हरीसिंह 1/2 भाग का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी ने उक्त आराजी को दिनांक 17.07.1983 को जरिये कवाला वयनामा क्रय किया था वादी का नाम निरंजन है तथा वादी को प्यार से वादी के घरवाले व गांव वाले फतेहसिंह कह कर भी पुकारतें हैं, वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजों में भी वादी का नाम निरंजन पुत्र यादराम अंकित है लेकिन उक्त आराजी का वयनामा कराते वक्त वयनामा में वादी का नाम निरंजन के स्थान पर भूलवश प्यार का नाम फतेहसिंह अंकित करवा दिया था उस समय वादी छोटा बच्चा था जबकि वादी को निरंजन व फतेहसिंह दोनों नामों से जाना जाता है। वादी निरंजन के अलावा अन्य कोई व्यक्ति ग्राम अजरौंदा में नहीं है। वादी की उक्त आराजी ख0न0 77/0.93, 78/0.09 है0 के रैवन्यू रिकॉर्ड में वादी का नाम फतेहसिंह दर्ज होने से व अन्य सभी दस्तावेजात में निरंजन दर्ज होने से वादी को अपनी आराजी में से मिलने वाले सभी लाभों से व बैंक से ऋण लेने की सुविधा से वंचित होना पड रहा है व विभिन्न अडचनें आ रही हैं इसलिए वादी अपनी उक्त

आराजी के रैवेन्यू रिकॉर्ड में फतेहसिंह के स्थान पर निरंजन नाम शुद्ध करवाकर रैवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। इस अशुद्धि का अनुभव वादी को दिनांक 15.05.2019 को हुआ जिसकी बाबत् वादी ने असल प्रतिवादी से रैवेन्यू रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करने को कहा तो प्रतिवादी असल ने दिनांक 14.06.2019 को वादी के सही नाम का अंकन करने से मना कर दिया और अदालत से सही नाम करवाने की सलाह दी। वादी का मूल नाम निरंजन उक्त आराजी के कागजात पटवार में दर्ज नहीं होने से वादी को सख्त हक तलफी व बर्बादी हो रही है और बैंक व सरकार द्वारा देय सुविधाओं का वादी लाभ नहीं ले पा रहा है। इसलिये वादी अपने नाम को शुद्ध करा पाने का अधिकारी है। दावा अंदर अवधि पेश है। उक्त वाद अर्जेंट व इमीडेट नेचर का है इसलिए वादी द्वारा असल प्रतिवादी को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है इसलिए यह वाद धारा 80(2) के तहत पेश है। प्रार्थना–पत्र परमीशन अलहदा से पेश है। तरतीवी प्रतिवादी को सहखातेदार होने की वजह से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिसके विरूद्व कोई दादरजी नहीं चाही गई है।

प्रकरण दर्ज रिजस्टर किया गया प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी असल द्वारा लिखित में जबरन पेश कर वादी के जबरन पेश कर वादी के वाद का समर्थन करते हुये वादी का सही नाम निरंजन होना जाहिर किया और यह भी बतलाया कि फतेहसिंह व निरंजन ग्राम अजरौंदा में एक ही व्यक्ति हैं। इसके अलावा निरंजन नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। वादी का नाम फतेहसिंह के स्थान पर निरंजन शुद्व किये जाने में कोई आपत्ति नही है। उक्त वाद के सबंध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी निरंजन ने शपथ–पत्र पीडब्यू–1 के रूप में पेश किया और पीडब्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 हरीसिंह पीडब्यू–2 किशनसिंह पीडब्यू–3 यादराम पीडब्यू–4 ईश्वरसिंह पीडब्यू–5 एवं मदनपाल को पीडब्यू–6 के बयान शपथ–पत्र पेश कर लेख बह करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2074 प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी संवत् 2071 लगायत 2074 प्रदर्श–2 नकल वयनामा, प्रदर्श–3/ए नकल राशन कार्ड प्रदर्श 4/ए नकल पहचान पत्र, पदर्श 5/ए नकल आधार कार्ड, प्रदर्श 6/ए को प्रदर्शित कराया बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस में वाद –पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके अजरौंदा में स्थित आराजी ख0न0 77/0.93 व 78/0.09 को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी हरीसिंह ने दिनांक 17.07.1983 को जरिये कबाला वयनामा क्रय किया था वादी का असल नाम निरंजन है वादी को वादी के घरवाले व गांवों वाले प्यार से फतेहसिंह कहकर भी पुकारतें हैं वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान–पत्र में भी वादी का नाम निरंजन पुत्र यादराम है लेकिन आराजी का वयनामा करते वक्त वयनामा में वादी का नाम निरंजन के स्थान पर भूलवश प्यार का नाम फतेहसिंह अंकित करवादिया था। उस समय वादी छोटा बच्चा था वादी को निरंजन व फतेहसिंह दोनों नामों से ही जाना जाता है। फतेहसिंह पुत्र यादराम नाम का वादी निरंजन के अलावा

अन्य कोई व्यक्ति ग्राम अजरौंदा में नहीं है। उक्त रैवैन्यू रिकॉर्ड में वादी का नाम फतेहसिंह दर्ज होने से व अन्य सभी दस्तावेजों में निरंजन नाम होने से वादी को अपनी आराजी से मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड रहा है। व विभिन्न अडचनें आ रही है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का मूल नाम निरंजन पुत्र यादराम खातेदार कागजात पटवार में दर्ज किया जावे उभय पक्ष की बहस व तर्को पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का निरंजन शुद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचानुसार वाद–पत्र वादी स्वीकार कर विरूद्व प्रतिवादी असल डिक्री किया जाता है। और यह घोषित किया जाता है कि आराजी ख0न0 77 रकवा 0.93 है0 व आराजी ख0न0 78 रकबा 0.09 है0 किता–2 कुल रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम अजरौंदा तह0 वैर में वादी के अशुद्व नाम फतेहसिंह को कलमजन किया जाकर वादी का मूल नाम निरंजन पुत्र यादराम जाति जाट निवासी ग्राम अजरौंदा तह0 वैर खातेदार काश्तकार रेवेन्यू रिकार्ड कागजात पटवार में दर्ज किया जावे तदानुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–2 वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वैर, भरतपुर